सूचना पत्र

सूचित किया जाता है कि यह संज्ञान में आया है कि ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की है एवं जिनका नाम चयन सूची में शामिल है उन्हें कुछ व्यक्तियों द्वारा फोन कॉल्स किये जा रहे हैं कि वे मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से बोल रहे हैं और यदि वे चाहते है कि उनको उपरोक्त पदो हेतु नियुक्ति पत्र प्राप्त हो जावें तो उन्हें उनके द्वारा बताये बैंक खाते में कुछ रूपये जमा करने होंगे। ये सभी फोन कॉल्स झुठे, गलत एवं फर्जी हैं। अतः समस्त उम्मीदवारों को सचेत किया जाता है कि वे ऐसे व्यक्तियों एवं फोन कॉल्स से सावधान एवं सतर्क रहें एवं उन्हें चयन एवं नियुक्ति पत्र हेतु किसी भी प्रकार की राशि न दें एवं इस संबंध में तत्काल संबंधित पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करें।

आदेशानुसार
रजिस्ट्रार जनरल
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर।